

**Bilateral negotiations with All India  
Kendriya Vidyalaya Teachers  
Association**

3361. SHRIMATI SARALA MAH-  
ESHWARI: Will the Minister of  
HUMAN RESOURCE DEVELOP-  
MENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government have been reiterating its ever readiness for bilateral negotiations with Kendriya Vidyalaya Teachers for the last six months;

(b) if so, whether it is a fact that he did not respond to the demand for such negotiations despite the requests of some patron-MPs of All India Kendriya Vidyalayas Teachers Association for the last eight month; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF HUMAN RESOURCE  
DEVELOPMENT (DEPARTMENT  
OF EDUCATION AND DEPART-  
MENT OF CULTURE) (KUMARI  
SELJA): (a) to (c) It is correct that  
the Govt. have reiterated its willing-  
ness to discuss the various issues. At  
different times the representatives of  
Kendriya Vidyalayas Teachers have  
met the Chairman, Kendriya Vidya-  
laya Sangathan. On a recent occa-  
sion they were accompanied by a  
Member of Parliament. The Kend-  
riya Vidyalaya Sangathan has acti-  
vated the Joint Consultative Machin-  
ery to resolve the various issues, and  
has also nominated persons who  
headed associations of teachers and  
other employees on the Kendriya  
Vidyalaya Sangathan and its Board  
of Governors. It may be reiterated  
that the Government is always pre-  
pared to discuss with the employees  
any genuine grievance so that reason-  
able solutions could be arrived at.

प्रतिव्यक्ति शुल्क को समाप्त किया जाना

3362. श्री राजूभाई ए० परमार :

श्रीमती सत्या बहिन :

डा० येलामनचिली शिवाजी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्रों यह  
वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा शैक्षिक  
और इंजीनियरी कालेजों में प्रति व्यक्ति  
शुल्क को समाप्त करने के लिए कोई  
प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा  
क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अभी तक प्रति  
व्यक्ति शुल्क समाप्त न किए जाने के  
क्या कारण हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
(शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में  
उपमंत्रि (कुमारी शैलजा) : (क) से  
(ग) केन्द्रीय सरकार और अखिल भार-  
तीय तकनीकी शिक्षा परिषद् राज्य  
सरकारों से तकनीकी संस्थानों में दाखिले  
के लिए प्रति व्यक्ति शुल्क (केपीटेशन  
फीस) लेने को रोकने के लिए उपयुक्त  
कार्रवाई करने के लिए अनुरोध करती  
रही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा  
परिषद् अधिनियम में भी तकनीकी शिक्षा  
के व्यापारीकरण को रोकने हेतु कदम  
उठाने की व्यवस्था है। तकनीकी शिक्षा  
संस्थानों में व्यापारीकरण को रोकने  
के उद्देश्य से अखिल भारतीय  
तकनीकी शिक्षा परिषद् (ए० आई०  
सी०टी०ई०) की कार्यकारी समिति ने  
शिक्षा-शुल्क और अन्य शुल्क लेने के  
लिए मानदंड और दिशानिर्देश अनुमोदित  
किए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी  
शिक्षा परिषद् ने तकनीकी संस्थानों में  
दाखिले के लिए भी दिशानिर्देश निर्धारित  
किए हैं।